न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 33/2026 बउनवानी ज्वाला सिंह बनाम तहसीलदार बामनवास
पुत्र श्री इन्दरराम मीना निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2026/58

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
25.3.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 7.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **मृतक रंगलाल पुत्र धन्नी का सजरा तहसीलदार बामनवास के पत्रांक 4182 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार अपूर्ण व भ्रामक जानकारी उपलब्ध करवायी गयी है अतः सही सूचना समय पर उपलब्ध करवायी जावे।** " तहसीलदार बामनवास से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक भू0अ0/2026/145 दिनांक 23.3..2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 7.11.2025 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार बामनवास के पत्रांक भू0अ0/2025/4182 दिनांक 26.11.2025 द्वारा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 203 दिनांक 28.1.2026 द्वारा पुनः वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.11.2025 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार तहसीलदार बामनवास के पत्रांक 4182 दिनांक 26.11.2025 एवं पत्रांक 203 दिनांक 28.1.2026 द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner